न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/331/2016

उनवान

1. शंभू सिह आत्मज तेज सिंह राजपूत निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2. चावण्ड सिंह आत्मज तेज सिंह राजपूत निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रतन सिंह पिता कालु सिंह राजपूत निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

----रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 78/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री एम एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री ओम प्रकश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 4.03.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा के अन्तर्गत वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 190, 191, 193, 194, 197, 600, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 884, 1066/193 कुल किता 15 कुल रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा दर्ज होकर स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण के परिवार के मध्य पीढियों की दूरी होती आ रही है तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने अपने हक हिस्से को विभाजित करके कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराने अपने हिस्से के खेतों की सीमाबन्दी करने, थोहर–बाड पैड–पौधे आदि लगाने तथा घास काटने, फसल ले जाने आदि के संबंध में आपस में बोलचाल हो जाती है जिससे मनमुटाव बना रहता है और किसी दिन उग्र रूप धारण होने की संभावना बनी रहती है तथा प्रत्येक खातेदार अपने हिस्से व खेतों का विकास करने के लिए भूमि सुधार का कोई कार्य करने में कठिनाई महसूस होती है। वादी ने प्रतिवादीगण को जुबानी तौर से कहा कि तहसीलदार साहब के यहॉ चलकर आपसी सहमति से विभाजन करा लेते हैं लेकिन वे इंकार हो गये और कहा कि जिसको आवश्यकता है, वह कानूनी कार्यवाही करवा कर सहायता प्राप्त कर लेवे। प्रतिवादी संख्या 3 के यहॉ वादग्रस्त आराजियात रहन होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भूमि धारी होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रत्येक आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर अलग–अलग खातेदारी अधिकारों में हिस्सा दर्ज कराया जावे एवं उस हिस्से का संबंधित व्यक्तियों को खातेदार

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

From ..... to ..... From ..... to .....

काश्तकार घोषित किया जाये। खातेदारी प्राप्त हो जाने पर जिस खातेदार के हिस्से में जो भूमि आये उसमें अन्य खातेदार जबरदस्ती दखलन्दाजी नहीं करें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.7.2015 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.7.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सांगवा में पारित की गई , उसकी कोई जानकारी एवं सूचना अपीलार्थी को नहीं थी। प्रथम बार जानकारी पटवारी हल्का दिनांक 19.12.2016 को जब प्रस्ताव बंटवाड करने हेतु आये तब जानकारी हुई और अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 20.12.2016 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया एवं दिनांक 22.12.2016 को नकल प्राप्त हुई । तब अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री की जानकारी हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निवेदन है कि अपीलाधीन निर्ण व डिक्री कानून के खिलाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्याालय ने दिनांक 10.8.2011 को उक्त प्रकरण में 3 तनकी कायम की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज निर्णय पारित नहीं कर मनमकसूद तरीके से राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सांगवा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 15.7.2015 को अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं मिलीथी और अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो सुनवाई के अभाव में पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है ।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत गवाहान के बयानों का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रतन सिंह की बुआ भी मौजूद है जिसका नाम उच्छब कंवर है जिसको रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 , 888, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर दिया जबकि सह खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजियात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गई। वाद पत्र में जो आराजियात अंकित की उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी को आधार मानकर निर्णय व डिक्री पारित की

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जानी चाहिये थी। ऐसा नहीं कर मात्र कयासी आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 884 रकबा सवा 6 बीघा भूमि अपीलाण्ट के पिता तेजसिंह के नाम पर आवंटन हुई थी जो भी गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता कालु सिंह के नाम पर अंकित हो गई। साथ ही जमाबंदी पृथ्वीसिंह, बाग सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत का भी आधा हिस्सा दर्ज है। किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने पक्षकार नहीं बनया जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। प्रकरण में आवश्यक पक्षकार का अभाव रहने के बावजूद जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं उपलब्ध साक्ष्य का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सदभाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 23.4.2010 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 27.7.2010 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा एवं क्रोस सूट प्रस्तुत किया गया । प्रकरण मे क्रोस सूट का जवाब पेश होने के उपरान्त दिनांक 10.8.2011 तनकियात कायम की गई। वादी की ओर से गवाह रतन सिंह के बयान दिनांक 28.12.2011 को लेखबद्ध कराये गये। जिससे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। प्रकरण उसके उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी में लंबित रहा उसके उपरान्त दिनांक 4.6.2013 तक प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। उसके उपरान्त दिनांक 15.7.2015 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सांगवा में नियत किया जाकर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई।

14. अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि जब प्रकरण में तनकियात कायम की जा चुकी थी एवं वादी की ओर से गवाह के बयान भी लेखबद्ध किये जा चुके थे एवं साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जा चुकी थी तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य, गवाहान के बयान का विवेचन करते हुए तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित करते। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर दिनांक 15.7.2015 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार कायम की गई तनकी पर कोई विवेचन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती। उसके उपरान्त उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया जाता । अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं प्रकरण को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में तनकियात कायम की जा चुकी थी तो उपलब्ध साक्ष्य , दस्तावेजात, रेकार्ड का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते। अधीनस्थ न्यायालय ने विहित प्रक्रिया का पालन नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.7.2015 को निरस्त किया जाता है प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, का अवलोकन कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.04.2020 को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 4.3.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा